20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

103

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर

नि.प -871- II-1/

श्रीमति उर्मिला सिंह पत्नि स्व0 श्री जयराम सिंह ,

हाल निबासी अयोध्या बाइ पास , एच0 आई0 जी0 90 ,

के0 सेक्टर भोपाल जिला भोपाल म0 प्र0

हाल निबासी– ग्राम बरारू जिला सागर म0 प्र0 ....आवेदिका

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तसहीलदार वृत 02 सागर .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर वृत सागर 2, सागर जिला सागर द्वारा प्र0 क0 45/अ–6/2013–14 एवं प्रकरण कमांक 46/अ–6/2013–14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29/09/2014 से परिवेदित होकर कर रही है। चूंकि प्रकरण की बिषय बस्तु एक है , इस कारण यह निगरानी संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर रही है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका के ससुर बृंदावन के नाम से मौजा बरारू हल्का नंबर 68, तहसील सागर में खसरा नंबर 298 रकवा 1.40 हैक्टर , खसरा नंबर 307 रकवा 0.58 हेक्टर राजस्व अभिलेख में अन्य सहखातेदारों के साथ भूमि स्वामी हक में दर्ज थीं । इसी प्रकार ग्राम बरारू में ही बृंदावन के नाम से खसरा नंबर 303 में रकवा 2.050 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थीं। आवेदिका के पति जयराम का स्वर्गवास 16/10/2006 को हो चुका है, इसी प्रकार बृदावन का स्वर्गवास 15/09/2010 को हो चुका है। आवेदिका ज्यादा पड़ी लिखी नहीं है। कानूनी प्रावधान नहीं जानती है।

3– यह कि आवेदिका के पति का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत आवेदिका के ससुर बृंदाबन, आवेदिका पर काफी स्नेह प्रेम करते थे , आवेदिका की एक पृत्री अनुभा भी है। उससे भी उनको अत्यधिक प्रेम था। जिसके चलते उनके द्वारा आवेदिका के नाम से एक बसीयतनामा दिनांक 24/05/2003 को अपने नाम की उपरोक्त भूमि का लेख करवाकर समक्ष गवाहों के हस्ताक्षर करके अपने पास रख लिया था। जब बृंदावन फौत हुये तो उपरोक्त भूमि के नामांतरण वावद आवेदिका द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा वारिसान नामांतरण कर दिया । जब आवेदिका ने

XXXIX(a)-BR(H)-11 -2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 871/II/2016 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश उर्मिला सिंह वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-16	(1) 1– मैंने प्रकरण तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदिका द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागर वृत सागर 2, जिला सागर द्वारा प्र0 क0 45/अ–6/2013–14 एवं 46/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29/09/2014 से परिवेदित होकर संयुक्त रूप में की है। दोंनों प्रकरणों के पक्षकार एवं बिषयबस्तु एक है, आवेदिका के अधिवक्ता के ग्राहयता एवं समय सीमा के बिन्दु पर तर्क श्रवण किये गये। निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये तथा बिलंब का कारण समाधानप्रद तथा सदभाविक होने के कारण होने से स्वीकार किया जाता है। 2– यह कि प्रकरण का संक्षेप सार इस प्रकार है कि, आवेदिका के ससुर बृंदावन के नाम से मौजा बरारू, तहसील सागर में खसरा नंबर 298, 307, 303, में रकवा 1.40, 0.58, 2.050 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में अन्य सहखातेदारों के साथ भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थीं। आवेदिका के पति जयराम का स्वर्गवास 16/10/2006 को हो चुका है, ससुर बृदावन का स्वर्गवास 15/09/2010 को हो चुका है। 3– यह कि बृंदाबन के द्वारा आवेदिका के नाम से एक बसीयतनामा दिनांक 24/05/2003 को अपने नाम की उपरोक्त भूमि का लेख करवाकर समक्ष गवाहों के हस्ताक्षर किये थे। जब बृंदावन फौत हुये तो उपरोक्त भूमि के बसीयत नामांतरण वावद आवेदिका द्वारा आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा बसीयतनामा का बिचारण न करके वारिसान नामांतरण कर दिया। जब आवेदिका ने अपने अधिवक्ता से कहा तो उन्होंने बताया कि बंटवारे के केश में बसीयत पेश करके नामांतरण करवा देंगे। तो आवेदिका ने उनके अनुसार तहसीलदार के समक्ष बंटवारे का प्रकरण जिसका कमांक 05/अ–27/2014–15 है, प्रस्तुत कर दिया। जिसके प्रचलन के दौरान आवेदिका द्वारा तहसीलदार से बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण का कहने पर उनके द्वारा सलाह दी गई कि पहिले पूर्व नामांतरण आदेश की सक्षम न्यायालय में निगरानी करो, तो आवेदिका द्वारा तहसीलदार की सलाह मानकर बंटवारें का प्रकरण दिनांक 10/03/2016 को बापिस लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की है। 4– यह कि आवेदिका द्वारा अपनी निगरानी के साथ एक सौ रूपया के स्टांप पर लेख बसीयतनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें बृंदाबन नामक ब्यक्ति द्वारा भूमियां आवेदिका एवं उसकी पुत्रियों को देंना लेख	

किया है, जिस पर गबाहों के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार सुनील एवं अनीता द्वारा लेख किये गये दो शपथपत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कीं हैं। आवेदिका द्वारा जो आवेदनपत्र तहसीलदार के समक्ष बंटवारे का संहिता की धारा 178 का तथा प्रकरण बापिस लेने वावद दिनांक 10/03/2016 को प्रस्तुत किया है, उसकी छाया प्रतियॉ प्रस्तुत कीं है, उनके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा इस आवेदनपत्र के माध्यम से बसीयतनामा नामांतरण की मांग की है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका कानूनी प्रावधानों से अनजान रही है, तथा पूरी कार्यवाही अन्य लोगों की सलाह के आधार पर की है। पटवारी द्वारा जो स्थल पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें भी बसीयतनामा लेख करने संबंधी बात का समर्थन किया गया है। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तहसीलदार द्वारा उसे बसीयत की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। समस्त दस्तावेजों, आलोच्य आदेशों का अवलोकन करने से मैं यह पाता हूँ, कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को बसीयतनामा प्रस्तुत कर उसको प्रमाणित करने का अवसर प्रदान न करके वारिसान नामांतरण कर दिया है। तहसीलदार की सलाह पर आवेदिका द्वारा बंटवारे का प्रकरण दिनांक 10/03/2016 को समाप्त कराकर यह निगरानी पेश की हैं। प्रकरण की परिस्थितियों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के पालन में आवेदिका को बसीयतनामा के आधार पर बिचारण करवाने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिससे आवेदिका न्याय पाने से बंचित न हो सके, यही न्याय की मंशा है, कि प्रत्येक ब्यक्ति को न्याय पाने वावद अपना पक्ष एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिये।

अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है, तहसीलदार द्वारा पारित उपरोक्त दोंनों आलोच्य आदेश दिनांक 29/09/2014 निरस्त किये जाते हैं। वादभूमि पूर्ववत राजस्व अभिलेख में बृंदावन के नाम से दर्ज की जावे। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका द्वारा इस आदेश की प्रति के साथ बसीयतनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण पुनः खोलकर, बसीयतनामा का उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में दिये प्रावधानों के अनुसार बिचारण किया जाबे। इस बात का बिशेष ध्यान रखा जाबे कि प्रकरण में प्रत्येक हितबद्व पक्षकार/बृंदाबन के सभी वारिसों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाबे। तदुपरांत विधि अनुसार बोलता हुआ आदेश पारित किया जाबे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य